<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश,बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **उमाशंकर व्यास**
आप0 विविध (जमानत)प्रकरण सं0 : 432/2018.

(1) अब्दुल हफीज पुत्र अलादीन,मुसलमान
(2) आरिफ पुत्र अब्दुल हफीज,मुसलमान
(3) सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल हफीज,मुसलमान
निवासीगण विज्ञान नगर विस्तार योजना,कोटा जिला कोटा(राजस्थान)
(4) मोईनुद्दीन पुत्र बदरूद्दीन,मुसलमान
(5) मौहम्मद मुनावर पुत्र मौहम्मद बिलाल, मुसलमान
निवासीगण विज्ञान नगर,कोटा(राजस्थान) —प्रार्थीगण.

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक. : 491/2017 आरक्षी केन्द्र,कोतवाली,बून्दी अपराध अन्तर्गत धारा 143,452,323 व 354 भा.दं.सं.)

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन आवेदन.</u>

<u>उपस्थित :—</u>

1. श्री प्रमोद कुमार बाकलीवाल,प्रार्थी—अभियुक्तगण के अधिवक्ता.
2. श्री बी.एस.सक्सेना, लोक अभियोजक—राज्य की ओर से.

<u>आ दे श</u>

दिनांक : 03 जुलाई,2018.

1. प्रार्थी—अभियुक्तगण की ओर से उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराधों में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत हेतु यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान पंजिका तलब की गई, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्तगण एवं विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रार्थी—अभियुक्तगण निर्दोष हैं,इस मामले में उन्हें द्वेषवश मिथ्या रूप से संयोजित किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी—अभियुक्त संख्या 01 अब्दुल हफीज की पुत्री श्रीमती शमा बेगम परिवादी हफीज मौहम्मद की पुत्र—वधू है,जिसके दो बच्चे हैं, इसके बावजूद श्रीमती शमा बेगम के पति शईद खान ने दूसरा विवाह कर लिया है। श्रीमती शमा बेगम ने अपने पति के विरूद्ध धारा 498 ए. भा.दं.सं. के अधीन विज्ञान नगर,कोटा में अभियोग संख्या 292/2009 पंजीकृत करवाया था,जिसमें उसे दण्डादिष्ट किया जा चुका है तथा उसने अपने पति व अन्य के विरूद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत याचिका में भी उसे व उसके बच्चों को शईद खान से 6000/—रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिलवाये जाने का आदेश हो रखा है । पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के बावजूद भी शईद खान व उसके पिता आदि ने राजीनामे की शर्तो की अनुपालना नहीं की बल्कि दिनांक 06.10.2017 को श्रीमती शमा बेगम व उसके बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया व शईद खान की दूसरी पत्नी श्रीमती रूबीना के साथ लड़ाई—झगड़ा व

लज्जा भंग का यह झूँठा मामला दर्ज करवा दिया,अकारण यदि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया तो उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा। सात वर्ष या उससे कम कारावास के दण्ड वाले मामलों में धारा 41 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये,अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदत्त की जानी चाहिये,अत : उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदत्त की जाये।

अपने उक्त तर्को के समर्थन में उनकी ओर से निम्नांकित न्यायदृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये :—

1. 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 01
   सिद्वा राम सतलिंगप्पा महेत्रे विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य
2. 2014 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 721
   अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य व अन्य

3. विद्वान लोक अभियोजक ने इस अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये, यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी—अभियुक्तगण का नाम एवं विवृत कृत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः उल्लेखित है,उनके द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में परिवादी—पक्ष के व्यक्तियों के साथ मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार कर, मारपीट करते हुये, पीड़िता श्रीमती रूबीना की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है ,अभी यह मामला अनुसंधानाधीन है,अतः इस गम्भीर मामले में उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदत्त नहीं की जाये ।

4. परिवादी हफीज मौहम्मद द्वारा पंजीकृत करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं अब तक हुये अनुसंधान के अनुसार यह प्रकट हुआ है कि परिवादी हफीज मौहम्मद के पुत्र शईद का विवाह प्रार्थी—अभियुक्त अब्दुल हफीज की पुत्री शमा बेगम के साथ हुआ था, बाद में दोनों पक्षों के बीच में वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो गया,श्रीमती शमा बेगम द्वारा धारा 498 ए.भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज करवाया गया व भरण—पोषण की राशि दिलवाये जाने के संबंध में उसके पक्ष में न्यायिक आदेश हो रखा है। सम्पत्ति में रहने का अधिकार दिये जाने के बाबत् भी श्रीमती शमा व उसके पति के बीच में राजीनामा हुआ है । हस्तगत मामले में यह आरोप है कि शमा बेगम के पिता अब्दुल हफीज व उसके चार अन्य साथी अर्थात् पॉचों प्रार्थी—अभियुक्तगण ने दिनांक 06.10.2017 को परिवादी के घर में घुस कर, परिसर पर लगे ताले को हथोड़ी—सरिया आदि से तोड़ कर,परिवादी की पुत्र—वधू श्रीमती रूबीना के साथ लात—घूसों से मारपीट कर,उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसकी ओढ़नी को खींच कर,आपराधिक बल का प्रयोग किया तब पुलिस व पड़ोसियों ने आकर बीच—बचाव किया ।

5. यह मामला धारा 143,425,323 व 354 भा.दं.सं. में अनुसंधानाधीन है । अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर,घटना में प्रयुक्त आयुधों की बरामदगी करने एवं अन्य बिन्दुओं पर अभिरक्षात्मक अनुसंधान अपेक्षित है। दोनों पक्षों के बीच चल रही रंजिश व विवादों को देखते हुये मिथ्या आरोपण सम्भाव्य हो सकता है लेकिन इस प्रक्रम पर घटना की सत्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता । प्रार्थी—अभियुक्तगण को मिथ्या रूप से आलिप्त किये जाने का निष्कर्ष इस प्रक्रम पर नहीं निकाला जा सकता। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान प्रगति पर है। प्रार्थी—अभियुक्तगण से अभिरक्षात्मक पूछताछ व घटनाक्रम में प्रयुक्त आयुधों की बरामदगी का अहम प्रश्न निहित है। प्रार्थी—अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं।

6. जहॉ तक प्रार्थी—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्तांकित न्यायदृष्टान्तों का प्रश्न है,न्यायदृष्टान्त—2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 01 सिद्वा राम सतलिंगप्पा महेत्रे विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन—पत्र निस्तारित किये जाने के सन्दर्भ में जो दिशा—निर्देश व सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है,का सम्मान अध्ययन कर,मार्गदर्शन ग्रहण किया गया । न्यायदृष्टान्त—2014 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस. सी.) 721 अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त

तथ्यात्मक भिन्नता के कारण प्रार्थी—अभियुक्तगण को कोई अवलम्ब प्रदान नहीं करता है ।

7. अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना,यह अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

8. फलतः प्रार्थी—अभियुक्तगण अब्दुल हफीज,मोईनुद्दीन,आरिफ,मौहम्मद मुनावर व सद्दाम हुसैन की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. एतद्नुसार अस्वीकृत किया जाकर निरस्त किया जाता है ।

(**उमाशंकर व्यास**)
सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)

9. आदेश आज दिनांक 03 जुलाई,2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)